



(का.) 07692 - 220444  
(नि.) 07692 - 220301  
(फैक्स) 07692 - 220990

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

कमांक/ 3162 /वित्त लि0-4/2019 आदेश सिवनी, दिनांक 10/06/2019

श्रमायुक्त, कार्यालय म0 प्र0 शासन, इन्दौर की जारी की गई अधिसूचना पत्र कमांक 1/11/अन्वेषण/पांच/2015/19828-19829-971 इंदौर दिनांक 27.05.2019 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019 तक के लिये म0प्र0शासन वित्त विभाग के पत्र कमांक/303/आर./577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून 1992 तथा म0प्र0 राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित म0प्र0श्रम विभाग की अधिसूचना कमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.82 के अनुसरण मे मैं एतद द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दर सम्पूर्ण मध्य प्रदेश के लिये **अनुसूची 'क'** के अनुसार निर्धारित की गई है । सिवनी जिले के शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये **अनुसूची 'क'** के अनुसार ही परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित मासिक वेतन की दरें लागू होगी।

अतः म0प्र0 वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट-6 के नियम-43 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं **प्रवीण सिंह, कलेक्टर सिवनी** दिनांक 01-04-2019 से 30-09-2019 तक के लिये **अनुसूची 'क'** के अनुसार ही सिवनी जिले के शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दैनिक वेतन की दरें निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ । दिनांक 01-04-2019 से देय वेतन अन्तर की राशि का भुगतान श्रमिकों/कर्मचारियों को किया जावे । शेष शर्तें पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगी ।

**:: अनुसूची 'क' ::**

**(दिनांक 01.04.2019 से 30.09.2019 तक)**

**(30 दिन के मान से)**

(ऑकडे रूपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राऊंड अप में देय वेतन
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	2	3	4	5	6	7	8
अकुशल	6500.00	216.66	1200.00	40.00	7700.00	256.66	257.00
अर्द्धकुशल	7057.00	235.23	1500.00	50.00	8557.00	285.23	285.00
कुशल	8435.00	281.16	1500.00	50.00	9935.00	331.16	331.00
उच्च कुशल	9735.00	324.50	1500.00	50.00	11235.00	374.50	374.00

(2)

स्पष्टीकरण :- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउंड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-7/2006/नियम/ चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची - 'क' में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं। इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

( प्रवीण सिंह )  
कलेक्टर,  
सिवनी

पृ०क०/3163A/वित्त लि०-4/2019  
प्रतिलिपि:-

सिवनी,

दिनांक 10/06/2019

- 1- महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर,
- 2- सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 3- सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 4- सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
- 5- सचिव, म०प्र०शासन, श्रम विभाग, भोपाल,
- 6- श्रमायुक्त, म०प्र०शासन, इंदौर,
- 7- आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर,
- 8- समस्त कलेक्टर म०प्र०,
- 9- समस्त कार्यालय प्रमुख .....

जिला सिवनी (म०प्र०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( प्रवीण सिंह )  
कलेक्टर,  
सिवनी